

पत्र के साथ अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 खारिज किया जाता है । पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20.11.2018 को पेश हो ।

म
28/10/18

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20/11/18

अधिकतम 300 / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वाकेवत्स
दिनांक 17/12/18 को पेश हों।

वाकेवत्स वकील अपीलार समय चालते

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17/12/18 वकील उमयपस उपरिखर । आतनीय राजस्व मन्डर, कुजमेर से उरनी मिसर की निचरी छप्ट डी है। न्यायलय हाज की मिसर मय अधीतरन न्यायलय की पत्रावली के आतनीय राजस्व मन्डर, कुजमेर से मिलवा की जावे। वाउ निगम राजस्व मन्डर से छप्ट होत पर पुनः दफ की जावे। पत्रावली वाउ निगम कारिखर दफर हो व गम्वर से कर हो।

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा